


khaliyaan



प्रतिलिपि के लिए आवेदक की तारीख	स्टाम्प की अपेक्षा करने की	ब जबकी देने के लिए तिलिपि तैयार थी	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख
Date of Application for the copy	Date fix the requisite number of stamps and folios	Date on which the copy was ready for delivery	Date of making over the copy to the applicant
19/10/19	19/10/19	22/10/19	22/10/19

FOLIO NOT AVAILABLE
 रूची प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खतियान के खेसरा संख्या 2096
 खाता नं० 209 वार्ड सं० 9 जमशेदपुर अधिसूची क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

गाँव थाना	मोहल्ला पट्टी	परगना थाना सं०	तौजी सं०	स्वत्वाधारी का नाम और उसकी खेवट संख्या मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसका खेवट संख्या यदि हो					
खतियान की क्रम सं०	अभिधारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेत		भूमी का स्वरूप	रकबा हे० आर० सं०	अभ्युक्ति	गैर नगदी लगान वाले हरेक प्लाट के सामने बताए कि उस पर कब्जा कैसे हे		(1) अधियोगी रैयत कर हैसियत और कब्जे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आरोही (प्रोग्रेसिव हो तो विशिष्टियाँ) (3) कोई विशेष शर्त और अनुबंधत बात यदि हो।
		खेसरा संख्या	चौहदी				राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस	बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
209	लारा सिंह / पिता जेता सिंह /	2096 / 9 / b		मकान- पक्का शुभ्रा पोसा आंगन-	0-00-70 0-11-40				
					0-12-10	शं काविल- लगान			शं कावमी

प्रतिलिपि

Certified to be True

को नए प्रतिलिपि जमशेदपुर कारखाने अधिनियम 1920 की धारा 8(2) के अन्तर्गत एवं उसी अधिनियम अधिनियम 1920 की धारा 10(1) के अन्तर्गत जारी हुआ और इसका नमूना संख्या 10/11/1920